न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 42/2018

भीम सिंह पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी ग्राम ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

.....वादी

♠ बनाम ♠

1. महावीर सिंह पुत्र
2. केशरीसिंह पुत्र
3. श्यामबिहारी पुत्र
4. ओमप्रकाश पुत्र
5. ललता बाई पुत्री

स्व0 श्री बद्रीलाल जातिगण निवासीगण जाट ग्राम पिपलाज तहसील खानपुर जिला झालावाड

6. उपपंजीयक मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री हरिओम प्रजापत, श्री विकास पोरवाल

वकील प्रतिवादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 28.05.2018

निर्णय दिनांक : 21.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल की आराजी खसरा नं0 53 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 58 रकबा 5.18 है0, खसरा नं0 62 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 73 रकबा 2.03 है0, खसरा नं0 361 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 477 रकबा 0.75 है0 कुल किता 6 रकबा 8.99 है0 आराजी स्थित है जिसकी खातेदार मृतक नारायणी बाई पुत्री सुखदेव जाट निवासी ईश्वरपुरा है। मृतक नारायणी बाई वादी की बहिन है और आराजी पर वादी लगभग 25–30 वर्षो से लगातार काबिज चला आ रहा है। वाद में आगे कथन किया है कि नारायणी बाई द्वारा अपने जीवन काल मे ही उपरोक्त वर्णित आराजी को वादी को सम्भलाकर काबिज करा दिया था, वादी के प्रति अधिक स्नेह व प्रेम होने से मृतक खातेदार नारायणी बाई ने अपने जीवनकाल में ही एक अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.04.1995 वादी भीमसिंह के पक्ष में करा दी। नारायणी बाई की मृत्यु दिनांक 07.09.1996 को हो चुकी है, वादी वसीयत दिनांक 02.04.1995 के अनुसार मृतक खातेदार नारायणी बाई की आराजी को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी था, नारायणी बाई की स्वअर्जित आराजी होने से नारायणी बाई को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था।

आगे कथन किया कि प्रतिवादी कम 1 ता 5 नारायणी बाई के वारिसान है, और अपने नाम फौती इन्तकाल दर्ज करवाने वास्ते तहसीलदार मांगरोल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है ओर, इन्तकाल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

, नाम दर्ज कराना चाहते है तथा वाद में प्रार्थना की कि उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी को वादी ाते दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावें।

वाद पेश होने पर दिनांक 28.05.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह हाडा वकालत नाम पेश किया तथा दिनांक 30.07.2018 को उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम में अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वसीयतनामा दिनांक 02.04.1995 कूट रचित व फर्जी है। नारायणी बाई के प्रतिवादीगण कानूनी वारिस है व नारायणी बाई ने कोई वसीयत वादी के पक्ष में नही लिखी है। आगे कथन किया कि वादी काबिज काश्त नही है। मृतक नारायणी बाई वादी से पांती काश्त कराती थी। सुखदेवजी नारायणी बाई के पिता थे, सुखदेव की मृत्यु के बाद आराजी 8.99 है0 जो वाद पत्र में वर्णित है नारायणी बाई के खाते दर्ज की गई थी तथा नारायणी बाई की मृत्यु होने के बाद आराजी को स्वयं प्रतिवादी कम 1 ता 5 के फौती इन्तकाल दर्ज करवाना प्रतिवादी गण का कानूनी अधिकार है। विशेष आपत्तियों व काउण्टर क्लेम में कथन किया कि भीमसिंह को पृथक से सुखदेव की आराजी प्राप्त हो चुकी है। प्रतिवादीगण की माता नारायणी बाई के खाते में सीर्फ 8.99 है0 आराजी ही है। इस पर वादी का कोई अधिकार नही है। वादी के मन में बदनियति आ जाने से वसीयतनामा फर्जी बनाकर प्रतिवादीगण की मां की आराजी हडपना चाहते है। आराजी भीमसिंह के खाते दर्ज नही हो सकती और जवाब दावा पेश करके निवेदन किया कि वाद वादी खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी कम 1 ता 5 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के बारे में एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध वादी जारी की जावें।

काउण्टर क्लेम का जवाबउल जवाब पेश करके वादी ने कथन किया कि विवादित आराजी 8.99 है0 पर नारायणी बाई का कभी भी कब्जा नही रहा है। और आराजी लेने की इच्छा भी नही रही है इसलिए नारायणी बाई ने दो गवाहान की उपस्थिति में वसीयत नामा वादी के पक्ष में निष्पादित करवाया था। प्रतिवादी कम 1 ता 5 ने एक वाद वास्ते घोषित करने शून्य वसीयत नामा सिविल न्यायालय मांगरोल में पेश किया था। जिसको प्रतिवादीगण ने अदम पैरवी–अदम हाजरी में खारिज करवा लिया है। पांती काश्त का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। आगे कथन किया कि आराजी की कीमते बढ जाने से प्रतिवादी कम 1 ता 5 के बेईमानी आ गयी है। और अपने पक्ष में इन्तकाल तस्दीक करवाकर आराजी को खुर्दबुर्द करना चाहते है प्रतिवादीगण ने वादी के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा 420, 406 आईपीसी भी पेश किया था। जिसमें बाद जांच पुलिस थाना मांगरोल ने एफआर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। आगे विवेचन किया कि वादी प्रारम्भ से ही नारायणी बाई के जीवनकाल से ही आराजी पर काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकर फरमावें व काउण्टर क्लेम प्रतिवादी कम 1 ता 5 खारिज फरमावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा नक्शा ट्रेस, जमाबंदी ग्राम ईशरपुरा सम्वत 2072–75, छायाप्रति वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र नारायणी बाई, मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बरान, सेटलमेंट पूर्व की जमाबंदी,

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

,मांतरण पंजिका की प्रति आदि प्रस्तुत की। यह कि वाद तनकीयात की स्टेज पर विचाराधीन था, दौराने वाद दिनांक 07.05.2021 को उभयपक्ष वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 की ओर से एक राजीनामा न्यायालय में इस आशय का पेश हुआ कि प्रतिवादी कम 1 ता 5 खाता संख्या 108 में मृतक खातेदार कल्याणी बाई की आराजी खसरा नं0 53 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 58 रकबा 5.18 है0, खसरा नं0 62 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 73 रकबा 2.03 है0, खसरा नं0 361 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 477 रकबा 0.75 है0 कुल किता 6 रकबा 8.99 है0 वाके ग्राम ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल को वादी के खाते दर्ज कराने में सहमत है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी कम 1 ता 5 ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए राजीनामे में लिखवाया है कि उपरोक्त वर्णित आराजी को हमारी माता स्व0 नारायणी बाई की वसीयत के अनुसार वादी भीमसिंह के खाते दर्ज कर दी जावें। इस बाबत् भविष्य में प्रतिवादी कम 1 ता 5 कोई विवाद न्यायालय में पेश नही करेंगे। राजीनामा पर सभी प्रतिवादी कम 1 ता 5 के फोटो चस्पा है तथा हस्ताक्षर हो रहे है। राजीनामा दिनांक 05.07.2021 को पृथक से न्यायालय ने उभयपक्ष की सहमति स्वीकार करने पर तस्दीक किया जा चुका है। जो शामिल मिशल रहे। अतः मुताबिक राजीनामा दिनांक 05.07.2021 उभयपक्ष वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है कि **ग्राम ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल में दर्ज आराजी खाता संख्या 108 में खसरा नं0 53 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 58 रकबा 5.18 है0, खसरा नं0 62 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 73 रकबा 2.03 है0, खसरा नं0 361 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 477 रकबा 0.75 है0 कुल किता 6 रकबा 8.99 है0 मृतक खातेदार नारायणी बाई के खाते से खारिज किया जाकर वादी भीमसिंह पुत्र सुखदेव जाट निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल के खाते दर्ज की जाकर भीमसिंह वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजी पर वादी को नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय हो तो जमा करवाकर खातेदार दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें** तथा एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जाती है कि प्रतिवादी कम 1 ता 5 भविष्य में वादी के उपरोक्त वर्णित आराजी को कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नही करेंगे। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी कम 1 ता 5 खारिज किया जाता है निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प महलपुर मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल (राज0)

Scanned by CamScanner